## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

**आवेदक**

श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्त**

1. ललीत पुत्र श्री दिलीप कुमार प्रजापत (विक्रेता)
   मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. दिलीप कुमार पुत्र अमराजी प्रजापत (मालिक)
   मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
3. Bharat Kumar, Assistant Production (Nomine)
   Bikaji Foods International Ltd.,
   F-196/199 Bichhwāl Industrial Area, Bikaner (Raj.)

**प्रकरण संख्या: 09/2018**

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार चौहान, प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से

**-: निर्णय :-** **दिनांक 30 दिसम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 11.4.2018 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.4.2017 को समय 12.15 पी.एम. पर मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर निरीक्षण हेतु पॅहुचा तो वहां पर विक्रेता को सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) बिक्री करते हुए पाया। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति ललीत पुत्र श्री दिलीप कुमार प्रजापत है एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि 100 पेक पैकेट में सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) रखी हुई है। सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) जिसको वह आम जन को बिक्री कर रहा था एवं बिक्री हेतु रखी हुई थी उसमें मिलावट का शक होने पर गवाहान के समक्ष जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु ले रहा हूँ। आवेदक खाद्य

.....पेज दो पर

सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की समक्ष चार मूल पैकेट सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत विक्रेता को 480/- रुपये नकद देकर रसीद प्रापत की, जिस पर मेरे व विक्रेता एवं उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए व नमूना खरीद रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीदशुदा चारों पैक पैकेट पर हेतु लेबल तैयार कर लेबर पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड व क्रमांक S-725 व नमूना लेने का विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये व मैंनें स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक-एक लेबल प्रत्येक नमूना पैक पैकेट पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना पेक पेकेट को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना पैक पैकेट पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड एवं क्रमांक S-725 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना पैक पैकेट के मुंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पेक पैकेट को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमुहर किया। एक सील नमूना पैक पैकेट के मुंह पर एक सील पैंदे पर दो नमूना पैक पैकेट की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद सीलमुहर क्रिया। विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबारकर्ता से सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) की सप्लाई बाबत जानकारी चाही तो बिल होना बताया, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। चारों सीलबन्द नमूना पैक पैकेट को अपने कब्जे/जाब्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होनें स्वयं ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सभी कार्यवाही मैनें गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना पैके पैकेट सील की थी। एक नमूना पैक पैकेट मय फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फार्म नं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को दिनांक 17.4.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं दो सीलबन्द नमूना पैक पैकेट व शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 17.4.2017 को मैनें स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकिंत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2017/3299-3302 दिनांक 31.5.2017 से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या:एलएस/344/एक्ट/2017/345

....पेज तीन पर

दिनांक 27.4.2017 के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का नमूना Sub-standard as the extracted fat does not conform to the standard of ghee as prescribed under food safety and standards (Food Products standard and Food Additive) Regulations, 2011 and Misbranded under sectin 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards act-2006 पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub standard) खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub standard) खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 व 52 के तहंत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा एवं प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार चौहान उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अलग अलग लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुये।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 18.12.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 व प्रतिवादी संख्या-3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता ने बहस में प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा में प्रतिवादी संख्या-1 विक्रेता है व मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा का मालिक प्रतिवादी संख्या-2 है। प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म में विक्रेता प्रतिवादी संख्या-1 ने सोन पपपडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) को मूल कम्पनी पैक अवस्था में बिकाजी फूडस् इण्टरनेशनल लिमिटेड से क्रय कर मूल कम्पनी पैक अवस्था में हीं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को विक्रय किया है, इसलिये अमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सोन पपपडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 दोषी नही है, इसलिये प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 को दोष मुक्त किया जावे। बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या-3 के अधिवक्ता ने

....पेज चार पर

प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 77 के तहत एक वर्ष की समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत नही किया है एवं मियाद को बढाने के लिये कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दो साक्ष्यों की उपस्थिति में सेम्पल नही लिया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर कोई मौका रिपोर्ट तैयार नही की है, बल्कि कार्यालय में तैयार की गई प्रतीत होती है, जो विश्वनीय नही है। यह कि सोन पापडी से संबंधित कोई मानक निर्धारित नही किये हुये है, फिर भी खाद्य विश्लेषक ने सोन पापडी को अवमानक होना बताया है, जो कानूनन गलत है। प्रतिवादी संख्या-3 ने मिथ्याछाप या अवमानक स्तर की सोन पापडी का निर्माण नही किया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या-3 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उससे संबंधित समस्त नियमों व विनियमों के तहत सोन पापडी का निर्माण किया है। प्रथम दृष्टया बीकाजी सोन पापडी का पैकट देखने एवं गहन अध्ययन व अवलोकन से मिथ्याछाप का अपराध नही बनना पाया जाता है, जिसका खाद्य विश्लेषक ने सही रुप से विश्लेषण नही किया है। यह कि प्रतिवादी संख्या-3 ने सोन पापडी के द्वितीय नमूने की केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच हेतु दिनांक 01.7.2017 को अपील प्रस्तुत कर दी गई थी, किन्तु अभी तक अपील का निस्तारण नही किया गया है, इसलिये आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.4.2017 को 12.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा में विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी ललीत पुत्र श्री दिलीप कुमार प्रजापत उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म आशा एजेन्सीज की दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय के लिये रखे हुए खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) के 100 पैके पैकेट रखे हुए पाये, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता ललीत पुत्र श्री दिलीप कुमार प्रजापत को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5क में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) के 4 पैक पैकेट (मूल) नमूना जांच हेतु क्रय किये व उसकी कीमत राशि रुपये 480/-

.....पेज पांच पर

(अक्षरे रुपये चार सौ अस्सी मात्र) विक्रेता को अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता ललीत व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-725, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त विक्रेता ललीत व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) के चारों पैक पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-725 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना पैकेट पर विक्रेता ललीत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों पैकेटों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की। पत्रावली पर उपलब्ध मूल मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता ललीत व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में विक्रेता ललीत पुत्र श्री दिलीप कुमार प्रजापत से खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) के चारों नमूना पैक पैकेटों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 6 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों पैक पैकेटो के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफा में बन्द कर लिफाफे को चपडी से सील मोहर किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.4.2017 को नमूने का एक पैक पैकेट एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर का विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य

....पेज छः पर

विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 17.4.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ -सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का नमूना संख्या S-725 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./344/Act/2017/345 दिनांक 27.4.2017 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स आशा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में विक्रेता ललीत पुत्र श्री दिलीप कुमार प्रजापत से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub standard) पाया गया है। है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 27.4.2017 में यह अंकित किया गया है कि The sample of soan papdi made in ghee (Bikaji Sadabahar brand), bearing Code No. and Sr.No. S-725 of Designated officer cum Chief Medical & Health Officer, Sirohi is Sub-standard as the extracted fat does not conform to the standard of ghee as prescribed under food safety and standards (Food Products standard and Food Additive) Regulations, 2011 and Misbranded under sectoin 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act 2006.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स आशापुरी एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही में विक्रेता ललीत पुत्र श्री दिलीप कुमार प्रजापत से खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु दिनांक 15.4.2017 को क्रय किया गया है एवं उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का नमूना खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 27.4.2017 में अमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रकरण में बाद अनुसंधान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का नमूना जांच हेतु क्रय करने के एक वर्ष के भीतर यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 11.4.2018 को प्रस्तुत किया गया है, जो अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या-3 का यह तर्क माने जाने योग्य नही है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन मियाद बाहर प्रस्तुत किया हो।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म मैसर्स आशापुरा एजेन्सीज, सिरोही रोड, पिण्ड्वाडा ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) के पैक पैकेटों को प्रतिवादी फर्म Bikaji Foods International Ltd., F-196/199 Bichhwal Industrial Area, Bikaner से जरिये वेट इनवोईस नम्बर DSO/S015147/16-17 दिनांक 03.3.2017 के द्वारा क्रय किया

....पेज सात पर

था, जो कि उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Bikaji Foods International Ltd., F-196/199 Bichhwal Industrial Area, Bikaner द्वारा अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्मने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ सोन पापडी (Sadabahar)(Bikaji Brand) के निर्माण व विक्रय हेतु निर्माता फर्म Bikaji Foods International Ltd., F-196/199 Bichhwal Industrial Area, Bikaner दोषी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 52 के तहत निर्माता फर्म Bikaji Foods International Ltd., F-196/199 Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006 (Raj.) पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म Bikaji Foods International Ltd., F-196/199 Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006 (Raj.) के नॉमिनी भरत कुमार को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Bikaji Foods International Ltd., F-196/199 Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006 (Raj.) पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.08.07 16:21:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: